भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4090

जिसका उत्तर सोमवार, 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

जन धन खातों की संख्या

4090. श्री दिनेश चंद्र यादव:
श्री गिरिधारी यादव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में देशभर में जन धन खातों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या इनमें से कई खातों में वर्षों से कोई लेन-देन नहीं हुआ है, और राज्य-वार ऐसे कितने खाते हैं; और

(ग) क्या सरकार इन खातों के लाभार्थियों को प्रोत्साहन प्रदान करके ऐसे निष्क्रिय खातों के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): 31 जुलाई 2025 तक देश में कुल 56.04 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं। दिनांक 18.02.2009 के भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि किसी बचत खाते में दो वर्ष से अधिक समय तक कोई लेनदेन नहीं हुआ है तो उसे निष्क्रिय/अक्रिय माना जाना चाहिए। जन धन और इनमें से निष्क्रिय खातों का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में संलग्न है।

सरकार ने पीएमजेडीवाई खातों का सुचारु रुप से संचालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, जो निम्नलिखित हैं -

I. सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के लाभ पीएमजेडीवाई खाते सहित सीधे बैंक खाते में जमा किए जाते हैं। ये लाभ निष्क्रिय खातों में भी अंतरित किये जाते हैं।

II. बैंक निष्क्रिय हो जाने वाले खातों के बारे में पत्र या ईमेल या एसएमएस के माध्यम से खाताधारकों को लिखित रूप में सूचित करते हैं और तिमाही आधार पर पत्र, ईमेल या एसएमएस के माध्यम से निष्क्रिय खातों के धारक से संपर्क भी करते हैं।

III. सरकार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत नामांकन को बढ़ावा देने के साथ-साथ निष्क्रिय खातों को सक्रिय करने जैसे मुद्दों के लिए समय-समय पर विभिन्न विशिष्ट अभियान चलाती है। हाल ही में, देश भर में दिनांक 01.07.2025 से 30.09.2025 तक ग्राम पंचायत स्तर पर संतृप्ति अभियान शुरू किया गया है, जिसमें "निष्क्रिय पीएमजेडीवाई खातों" का पुनः केवाईसी कराना अभियान की प्रमुख गतिविधियों में से एक है।

******

"जन धन खातों की संख्या" के संबंध में दिनांक 18.08.2025 को उत्तर के लिए नियत लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या †4090 के भाग (क और ख) में उल्लिखित अनुबंध			
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**पीएमजेडीवाई खाते**	**निष्क्रिय खाते**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	63,077	13,113
2	आंध्र प्रदेश	1,61,05,492	43,54,421
3	अरुणाचल प्रदेश	4,72,083	1,13,975
4	असम	2,50,57,375	54,80,057
5	बिहार	6,47,91,296	1,39,00,934
6	चंडीगढ़	3,37,296	1,08,796
7	छत्तीसगढ़	1,83,80,644	34,63,630
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	2,41,979	87,246
9	दिल्ली	68,28,853	19,44,125
10	गोवा	2,20,252	85,993
11	गुजरात	1,94,61,251	50,98,417
12	हरियाणा	1,07,34,203	29,70,165
13	हिमाचल प्रदेश	20,10,197	4,96,869
14	जम्मू और कश्मीर	22,42,081	5,19,866
15	झारखंड	1,98,73,299	47,83,888
16	कर्नाटक	2,08,09,443	54,01,586
17	केरल	70,83,609	19,67,393
18	लद्दाख	19,278	5,640
19	लक्षद्वीप	10,200	1,273
20	मध्य प्रदेश	4,58,29,191	1,07,06,565
21	महाराष्ट्र	3,66,74,956	80,60,103
22	मणिपुर	10,85,799	2,75,133
23	मेघालय	8,73,313	2,02,814
24	मिजोरम	4,20,390	55,765
25	नागालैंड	4,10,654	81,441
26	ओडिशा	2,32,77,225	40,10,250
27	पुदुचेरी	2,62,985	57,217
28	पंजाब	95,67,204	27,27,019
29	राजस्थान	3,73,49,958	78,00,665
30	सिक्किम	96,756	31,119
31	तमिलनाडु	1,77,69,122	39,25,412
32	तेलंगाना	1,28,97,640	41,97,010
33	त्रिपुरा	11,34,844	1,72,290
34	उत्तर प्रदेश	9,98,47,121	2,75,04,107
35	उत्तराखंड	39,19,740	10,13,150
36	पश्चिम बंगाल	5,42,25,684	88,35,398
कुल		**56,03,84,490**	**13,04,52,845**

*****